भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 580

जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब और लागत-वृद्धि

580 श्री विवेक के. तन्खा:

क्या सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अपनी मूल समय-सीमा से विलंबित हैं, उक्त परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है और अब तक कितनी लागत-वृद्धि दर्ज की गई है, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लगातार विलंब के बावजूद रियायत पाने वालों को बार-बार समय-विस्तार क्यों दिया जा रहा है और ऐसे विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रयुक्त वस्तुनिष्ठ मापदंड क्या-क्या हैं;

(ग) दोषी संस्थाओं पर किस प्रकार के दंड, परिसमापन-हर्जाने या अनुबंध-समाप्ति का अधिरोपण किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब और लागत-वृद्धि की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्तमान में लगभग 4.24 लाख करोड़ रुपये की कुल संचयी परियोजना लागत की लगभग 653 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनका कार्य अनुबंध के अनुसार अपने मूल समापन कार्यक्रम से आगे बढ़ गया है, जिनमें से परियोजना समापन के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना और समाप्ति / पूर्व समापन के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर 316 परियोजनाओं में 1 वर्ष से कम की देरी हो रही हैं, 252 परियोजनाओं में 1-3 वर्ष की और 85 परियोजनाओं में 3 वर्ष से अधिक का विलंब हो रहा है।

सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि नहीं होती है। यदि विलंब ठेकेदार के कारण नहीं है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत लग सकती है या नहीं भी लगे, यह परियोजना के वास्तविक पूर्ण होने और बिलों के अंतिम भुगतान के बाद निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि विलंब ठेकेदार के कारण है, तो उस हर्जाना लगाया जाता है, जिससे विलंब के कारण कोई अतिरिक्त लागत सरकार को नहीं वहन करनी पड़ती है।

(ख) निर्माण की समयसीमा परियोजना अनुबंधों में निर्दिष्ट होती है, जो आमतौर पर परियोजना के वास्तविक प्रारंभ से 2 से 3 वर्ष तक रखी जाती है, लेकिन अनुबंध में समयसीमा बढ़ाने की अनुमति देने के प्रावधान भी होते हैं।

ये विस्तार मानक अनुबंध करारों के अनुसार ही दिए जाते हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमतियों, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दों, रियायतग्राही/ठेकेदार की कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित करने वाले वित्तीय संकट, ठेकेदार/रियायतग्राही के खराब निष्पादन और कोविड-19 महामारी, जैसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं जैसे ठेकेदार/रियायतग्राही के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मानक अनुबंध करार दस्तावेज़ में परियोजना की उपलब्धि या समय-सीमा के भीतर परियोजना पूरी करने में हुए विलंब के लिए चूक करने वाले ठेकेदारों/रियायतग्राहियों पर विभिन्न रूपों में, अन्य बातों के साथ-साथ, परिनिर्धारित (लिक्वीडेटेड) नुकसान, अनुबंध समाप्त करना आदि जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो अनुबंध में निर्धारित सीमाओं के अधीन हैं। इस तरह की कार्रवाई मामले-दर-मामले के आधार पर की जाती है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है।

करार में निर्धारित समय सीमा के भीतर समग्र परियोजना पूर्णता की उपलब्धि पर ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति या अनुशोधन का प्रावधान भी है, जो उपलब्धि-आधारित अनुशासन के साथ मिलकर, सुधारात्मक कार्रवाई, त्वरित निष्पादन और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में सहायक होता है, वहीं प्राधिकरण के संविदात्मक अधिकारों और सार्वजनिक हित की रक्षा करता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्णता के किसी भी चरण को प्राप्त करने से पहले 36 निर्माणाधीन प्रमुख एनएच परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना कार्यान्वयन में विलंब शामिल था।

(घ) सरकार ने बार-बार विलंब होने और लागत वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए भूमी राशि पोर्टल और जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करना, वन और पर्यावरण मंजूरी को तेजी से सुगम करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 'परिवेश पोर्टल' का नवीनीकरण करना, रेलवे से सड़क ऊपरिपुल / सड़क अधोपुल (आरओबी / आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन मंजूरी को सुगम बनाना और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग में चल रही परियोजनाओं में बाधाओं / रुकावटों की समीक्षा और समाधान तंत्र का लाभ उठाना शामिल है।

सरकार ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए परिभाषित समय सीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरी के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदारों की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करते हुए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति और तीन वर्ष से अधिक विलंबित या कार्य सौंपने / नियत करने के लिए लंबित परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

परियोजना क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए कई राज्य सरकारें मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दों का समाधान नहीं हो पाता है, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाता है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, 3 वर्ष से अधिक विलंबित परियोजनाओं की संख्या अप्रैल 2024 के 152 से घटकर फरवरी 2026 में 85 रह गई हैं।
